बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं./31/2021–749

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 16/08/2021

विषय – पटना जिलान्तर्गत जटडुमरी–दनियावाँ नई रेल लाईन परियोजना में SH-4 (23.80 KM) पथ पर रेलवे क्रासिंग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.2 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि पटना जिलान्तर्गत जटडुमरी–दनियावाँ नई रेल लाईन परियोजना में SH-4 (23.80 KM) पथ पर रेलवे क्रासिंग निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.2 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु अपर महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), रेल विकास निगम लिमिटेड, पटना का प्रस्ताव वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1255 (ई०) दिनांक 30.09.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित रेलवे क्रासिंग निर्माण में 0.2 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 से कम एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाले 109 वृक्षों में से 102 वृक्षों का परियोजना निर्माण के क्रम में पातन एवं 7 वृक्षों का पुर्नस्थापन कराया जायेगा। इस प्रकार उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित किया गया है, जिनका पुनर्स्थापन विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

3. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है जो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

4. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

5. परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (102) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात् 1020 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.2 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 1,25,200/– (रूपये एक लाख पच्चीस हजार दो सौ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में पातित होने वाले वृक्षों (102) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात् 1020 पौधों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1216/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./31/2021–749 दिनांक–16/08/2021

प्रतिलिपि – अपर महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), रेल विकास निगम लिमिटेड, पटना /वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.8.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

पटना जिलान्तर्गत जटडुमरी–दनियावाँ नई रेल लाईन परियोजना में SH-4 (23.80 KM) पथ पर रेलवे क्रासिंग निर्माण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.2 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
5	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Translocation कराये जाने संबंधित Undertaking	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
10	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
11	वन संरक्षक, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
12	वन संरक्षक, पटना द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
13	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

6.8.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com